HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2430/2026
CNR: RJHC020124832026 | URN: CRLMB / 4326U / 2026

Kunen @ Laddan S/o Shri Kalimuddin, R/o Hussainabad, Police Station Nagar, District Katiyar, Bihar.

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Lokesh Gopaliya, Adv. for Mr. Pawan Kumar Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

25/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना–**रेनवाल मांजी, जयपुर ग्रामीण** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**155/2023** अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है, अभियुक्त द्वारा अनुसंधान में सहयोग किया जा चुका है, कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है, अकारण अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.11.26
09:54:25 IST

दोनों पक्षों के तर्कों के समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 482 बी.एन.एस.एस. (धारा 438 दं.प्र.सं.) के तहत खारिज किये गये जमानत आदेश का अवलोकन किया।

हस्तगत मामले में यह आरोप है कि एक ट्रक में भारी मात्रा में बैट्री परिवहन हेतु भरी गई थी, सह–अभियुक्तगण द्वारा ट्रक के चेसिस नंबर आदि बदलकर लाखों रुपयों की बैट्री चुरा ली। प्रार्थी–अभियुक्त पर उन बैट्री का चोरी होने का जानकार खरीदे जाने का आरोप है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2023 में दर्ज हुई है, अभियुक्त लम्बे समय से फरार रहा है, उसके विरूद्ध धारा 37 पुलिस अधिनियम के तहत वारण्ट जारी हो रखा है, बरामदगी व अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष है। अभियुक्त को मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया हो, ऐसी स्थिति भी नहीं है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता तथा उससे अभिरक्षात्मक अनुसंधान की आवश्यकता, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/75/DINESH KUMAWAT